

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं
द्वारा स्थापित मापमान
(मैनुअल-4)

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग प्रदेश सरकार एवं जनता के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु सेतु की भूमिका निभाता है। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं तथा निर्णयों के माध्यम से जो जनहितकारी कार्य सम्पन्न किये जाते हैं उनकी जानकारी विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा जनता तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण दायित्व सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग का है। लोक तंत्र में आवश्यक है कि जनता को उनके द्वारा चुनी हुई सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की जानकारी संचार माध्यमों से मिलती रहे। इसी उद्देश्य से यह विभाग प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देश एवं प्रदेश के विभिन्न समाचार पत्र-पत्रिकाओं, समाचार एजेंसियों, आकाशवाणी, दूरदर्शन के साथ ही विभिन्न टेलीविजन चैनलों को उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त फिल्म, प्रदर्शनी, गीत एवं नाट्य तथा विभिन्न प्रचारपरक प्रकाशनों के माध्यम से सरकार की नीतियों, संकल्पों, प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों की विस्तृत एवं प्रमाणिक जानकारी जन-जन तक पहुंचाने का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है।

प्रदेश से प्रकाशित होने वाले छोटे एवं मध्यम वर्ग के समाचार पत्र अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम को सकारात्मक दिशा दे सके, इसके लिए विभाग सभी समाचार पत्रों एवं प्रेस प्रतिनिधियों के लिए यथासंभव आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा सूचना क्रांति के वर्तमान दौर में सूचनाओं की त्वरित प्राप्ति एवं प्रेषण के लिए विभाग का मुख्यालय, मीडिया सेन्टर, राज्य सूचना केन्द्र नई दिल्ली, राजभवन एवं सभी जनपदीय कार्यालयों से प्रेस विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं।

